जैन विश्वभारती संस्थान

(मान्य विश्वविद्यालय)

लाडनूँ – 341306, नागौर (राजस्थान)

दूरभाष – 01581–226230, 226110

Advt. No. : 3/18 **Dated : June 18, 2018**

निविदा

जैन विश्वभारती संस्थान को सत्र 2018–2019 हेतु कैण्टीन एवं छात्रावास मैस के संचालन हेतु अनुभवी कैटररर्स की आवश्यकता है, जिस हेतु निम्न योग्यताएँ रखने वाले अनुभवी कैटररर्स से दरें आमंत्रित की जाती हैं–

1. फर्म राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत हो।
2. फर्म के पास जी.एस.टी. संख्या हो।
3. फर्म के पास फूड लाइसेंस आवश्यक है।

इच्छुक कैटररर्स अपनी दरें बन्द लिफाफे में मय भोजन–तालिका (Menu) के दिनांक 24 जून, 2018 को दोपहर 3.30 बजे तक कुलसचिव, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूँ कार्यालय में भेजें। अधिक जानकारी के लिए कुलसचिव कार्यालय से सम्पर्क करें।

कुलसचिव

कैण्टीन एवं मैस संचालन हेतु नियम एवं शर्ते–

01. यह अनुबन्ध कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस के लिए लागू होगा। इस हेतु मासिक किराया देय होगा।
02. कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस के लिए उपयोग आने वाली बिजली का वास्तविक लागत का भुगतान पार्टी द्वारा ही किया जायेगा।
03. कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस में उपयोग आने वाले बर्तन एवं अन्य सामग्री भी पार्टी की स्वयं की ही होगी।
04. संस्थान में आने वाले अतिथियों के नाश्ता–भोजन आदि की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी पार्टी की होगी।
05. संस्थान के गेस्ट हाउस में रूकने वाले अतिथियों के नाश्ता–भोजन आदि की व्यवस्था भी पार्टी द्वारा की जायेगी।
06. संस्थान परिसर में आवासित एवं संस्थान परिवार के सदस्य एवं उनके अतिथियों के अतिरिक्त बाहर का व्यक्ति प्रतिबंधित होगा।
07. कैण्टीन में किसी प्रकार का मादक तम्बाकु उत्पाद, द्रव्य एवं धूम्रपान आदि सामग्री का उपयोग एवं बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित होगी।
08. आइसक्रीम, कोल्ड–ड्रिंक, बिस्किट एवं अन्य सामग्रीयों की बिक्री प्रिंटेड़ रेट पर ही होगी।
09. संस्थान द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही नाश्ता, चाय, भोजन आदि संस्थान सदस्यों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने होंगे।
10. संस्थान सदस्यों के लिए आवश्यकतानुसार टिफिन की व्यवस्था करनी होगी।
11. संस्थान द्वारा कैण्टीन एवं महिला छात्रावास में उपयोग में आने वाला फर्नीचर, वाटर कूलर संस्थान द्वारा दिया जायेगा।
12. महिला छात्रावास मैस में छात्राओं को भोजन हेतु प्लेट या थाली की व्यवस्था छात्राओं की अपनी स्वयं की ही रहेगी।
13. महिला छात्रावास की मैस में खाना बनाने एवं अन्य कार्यों के लिए महिला कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।
14. महिला छात्रावास मैस के सभी नियम लागू रहेंगे।
15. स्थान, बर्तन एवं फर्नीचर आदि की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना होगा।
16. उपरोक्त अनुबन्ध को संस्थान एवं केटर्स द्वारा एक माह पूर्व बिना किसी कारण नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

17. उपरोक्त अनुबन्ध एक वर्ष के लिये मान्य है। अनुबन्ध की तिथि समाप्त होने के बाद यह अनुबन्ध स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
18. संस्थान द्वारा आवंटित सामग्री के रखरखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्टी की होगी।
19. कैटर्स के कर्मचारी संस्थान की मर्यादा के अनुसार अनुशासित एवं नशा मुक्त रहेंगे।
20. महिला छात्रावास में मैस की अवधि 1 जुलाई 2018 से 15 मई, 2019 तक होगी। यदि किसी कारणवश यह अवधि अधिक एवं कम होती है तो मासिक किराये का भुगतान उसी अनुपात में पार्टी द्वारा देय होगा।
21. संस्थान कैण्टीन आवंटन की समय अवधि 12 माह तक होगी।
22. संस्थान के कैंटिन एवं महिला छात्रावास कैण्टीन के नियम एवं शर्तें की अनुपालना करनी होगी।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय संस्थान का होगा।
24. सुरक्षा राशि 5 प्रतिशत प्रतिमाह आपके बिल से कटौति की जायेगी।
25. कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस में कार्य करने वाले सदस्यों का आइ कार्ड लगाया जाना अपेक्षित होगा।
26. कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस में बाल कर्मचारी का कार्य करना वर्जित है।
27. कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस में खुली खाद्य सामग्री एवं अवधि पार सामग्री का वितरण वर्जित होगा।
28. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं नियंत्रण बनाये रखने की जिम्मेदारी संचालक की होगी।
29. कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस संचालन विषय में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये विभिन्न नियमों एवं प्रावधानों का पालन करना होगा।
30. किसी भी नियमों के उल्लघंन की स्थिति में संचालक की सुरक्षा राशि जब्त कर उसका अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
31. आयकर संस्थान द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार काटा जायेगा।

कुलसचिव

जैन विश्वभारती संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय), लाडनूँ – 341 306

संस्थान परिसर में कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस संचालन हेतु आवेदन पत्र

कुलसचिव,
जैन विश्वभारती संस्थान,
लाडनूँ – 341 306

महोदय,

निवेदन है कि मैं ....
वर्ष 2018–2019 के लिए संस्थान परिसर में कैण्टीन एवं महिला छात्रावास मैस संचालन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ विवरण निम्नानुसार है–

1	नाम (Individual/Firm/Co.)	
2	पिता का नाम (in case individual)	
3	पत्र व्यवहार का पता	
4	दूरभाष/मोबाइल संख्या	
5	पूर्व में किसी प्रकार की दुकान/ कैण्टीन का अनुभव हो तो उसका विवरण (संलग्न करें)	
6	अनुबन्ध हेतु सुरक्षा राशि का विवरण	
7	आधार संख्या (संलग्न करें)	
8	राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
9	जी.एस.टी. संख्या (प्रमाण संलग्न करें)	
10	फूड लाइसेंस संख्या (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	

हस्ताक्षर मय नाम व दिनांक